न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 012/2022

उनवान

1. सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम गोविन्दगढ तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये उपतहसीलदार उपतहसील कार्यालय गोविन्दगढ जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 07.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्राथी की खातदेारी भूमि खसरा नम्बर 1500, 1511/1802, 1512 ता 1514, 1517, 1518, 1546, 1547, 1548/1816, 1549/1817, 1551/1818 कुल किता 12 का कुल रकबा 3.42 हैक्टयेर स्थित है जिसमें प्रार्थी का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में दर्ज रहा था। उक्त भूमियों के संबंध में न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक वाद संख्या 262/2005 उनवानी बाबूलाल बनाम मूलचन्द व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसको राजीनामा के आधार पर न्यायालय श्रीमान द्वारा डिक्री किया गया था तथा डिक्री की पालना में सभी खातेदारो के मध्य तकासमा करने के आदेश दिये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई, जिसके मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार खाता संख्या 445 के खसरा नम्बर 1511/1802, 1513, 1514, 1546/1 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। प्रार्थी की खातेदारी भूमि का पृथक से तकासमा माननीय उपखण्ड अधिकारी के मुकदमा नम्बर 262/2005 उनवानी बाबूलाल बनाम मूलचन्द वगै. में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 12.05.2008 के द्वारा है। उक्त पारित निर्णय डिक्री के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] किया गया है जो सभी खातेदारों के राजीनामा प्रस्तुत करने पर किया [illegible] खसरा नम्बर 1500, 1511/1802, 1512 1514, 1517, 1518, 1546, 1547, 1548/1816, 1549/18171551/1818 कुल किता 12 का कुल रकबा 3.42 हैक्टेयर खातेदारी मूलचन्द पि. लक्ष्मीनारायण हि. 1/3 राहिन मु. को खाता चौमूँ सीताराम बाबूलाल पि. लक्ष्मीनारायण हि. 2/3 कौम कुम्हार के नाम दर्ज रिकॉर्ड दी जो खसरा नम्बर 1513,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 09:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

4, 1546/1, 1511/1802 / 2 किता 4 रकबा 1.14 हैक्टेयर की खातेदारी है जो वर्तमान जमाबंदी में इसी अनुसार दर्ज है व खसरा नम्बर 1517, 1518, 1500, 1512, 1511/1802/1 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर की खातेदारी मूलचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण को दी गई है व खसरा नम्बर 1551/1818, 1548/1816, 1549/1817, 1547, 1546 / 2 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर की खातेदारी बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण को दी गई है वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त खातेदारी इसी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त राजीनामा विभाजन में खसरा नम्बर 1511/1802 रकबा 0. 20 हैक्टेयर के दो टुकडे किये गये है जिसमें एक खसरा नम्बर 1511/1802/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर व दूसरा खसरा नम्बर 1511/1802 / 2 रकबा 0.04 हैक्टेयर का है। खसरा नम्बर 1511/1802/1 को विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर के पश्चिमी दिशा में दिया गया है तथा खसरा नम्ब 1511/1802/2 को उक्त खसरे (मूल खसरा नम्बर 1511/1802) के पूर्वी दिशा में दिया गया है। इन खसरा नम्बर का जमाबंदी में अमल सही किया गया है लेकिन नक्शा सीट में नम्बर अंदाजी मुताबिक डिक्री के अनुसार नही हुआ है यह कि मूल खसरा नम्बर 1511 / 1802 रकबा 0.20 हैक्टेयर के बने खसरा नम्बर 1511/1802/1 का जमाबंदी में नया खसरा नम्बर 2118/1511 रकबा 0.16 हैक्टेयर बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 1511/1802 / 2 का जमाबंदी में नया खसरा नम्बर 1511/1802 रकबा 0.04 हैक्टेयर बना हुआ है लेकिन नक्शे सीट में खसरा नम्बर के नम्बर अंदाजी करते समय खातेदार सीताराम को खसरा नम्बर 1511 / 1802 रकबा 0.04 हैक्टेयर जो राजीनामा सहमति प्रस्ताव में पूर्वी दिशा में दिया गया था। जिसकी नक्शा सीट में पश्चिमी दिशा में नम्बर अंदाजी की गई है व खातेदार गिरीराज को दिये गये खसरा नम्बर 2118/1511 रकबा 0.16 हैक्टेयर जो राजीनामा में पश्चिमी दिशा में दिया गया था जबकि नक्शा सीट में पूर्वी दिशा में अंकित है। वर्तमान जमाबंदी में दिये गये खसरा नम्बर 1511/1802 रकबा 0. 04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2118 / 1511 रकबा 0.16 हैक्टेयर का राजस्व रिकॉर्ड नक्शा सीट में बनी हुई आकृति के अनुरूप नही बनाया गया है। इन नम्बरों की आकृति की रकबा बरारी करने पर आकृति का रकबा जमाबंदी के रकबे से मेल नही करते है। जो दुरूस्ती योग्य है। ऐसे में यह न्यायोचित एवं आवश्यकीय है कि राजीनामा में बताये अनुसार व नक्शा सीट में बनी हुई आकृति के रकबे के आधार पर सीताराम को दिये गये खसरा नम्बर 1511/1802 को नक्शा सीट में खसरा नम्बर 2118/1511 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जावें व खातेदार गिरीराज को दिये गये खसरा नम्बर 2118/1511 को नक्शा सीट में खसरा नम्बर 1511/1802 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाकर नक्शा दुरूस्ती किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 09:55:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

उक्त आशय का प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चौमूं से उक्त प्रकरण में रिपोर्ट ली गयी गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता सं. 445 कुल किता–4 रकबा 1.14 है की खातेदारी सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद पूर्व में हुये तकासमा के सम्बन्ध में है जिसका नामान्तकरण एवं तकासमा में प्रार्थी की उक्त खातेदारी का तकासमा जरिये माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के मु0न0 262/05 उनवान बाबूलाल बनाम मूलचन्द में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 12.05.2008 के द्वारा है। आपसी सहमति से किया गया उक्त राजीनामा विभाजन में खसरा नम्बर 1511/1802 रकबा 0.20 के दो टुकडे किये गये है। जिसमें एक टुकडा 1511/1802/1 रकबा 0.16 है0 तथ दुसरा टुकडा 1511/1802/2 रकबा 0.04 है0 का है खसरा नम्बर 1511/1802/1 को विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर के पश्चिम दिशा में दिया गया है तथा ख0न0 1511/1802/2 को उक्त खसरे के पूर्वी दिशा में दिया गया है। इन खसरा नम्बरान का जमाबन्दी में अमल सही किया गया है। लेकिन नक्शा शीट में नम्बर अन्दाजी मुताबिक डिक्री के अनुसार नहीं हुआ है। नक्शा शीट में खसरा नम्बर की नम्बर अन्दाजी करते समय खातेदार सीताराम को ख0न0 1511/1802 रकबा 0.04 है0 जो राजीनामा सहमति प्रस्ताव में पूर्वी दिशा में दिया गया था। जिसकी नम्बर अन्दाजी नक्शा शीट में पश्चिम दिशा में की गई है व खातेदार गिरीराज को दिये गये खसरा नम्बर 2118/1511 रकबा 0.16 है. जो राजीनाम में पश्चिम दिशा में दिया गया था। जो नक्शा शीट में पूर्वी दिशा में अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी में दिये गये ख.न. 1511/1802 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 2118/1511 रकबा 0.16 है0 राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट में इन खसरा नम्बर की बनी हुई आकृति के अनुरूप नहीं है। नक्शा ट्रेस में इन नम्बरों की आकृति की रकबा बरारी करने पर आकृति का रकबा जमाबन्दी के रकबे से मेल नहीं करते है।

प्रार्थी को सुना गया। प्रा0 पत्र, दस्तावेज रिपोर्ट तहसीलदार चौमू का बगौर अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मु0न0 262/05 उनवान बाबूलाल बनाम मूलचन्द में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 12.05.2008 के द्वारा है। आपसी सहमति से किया गया उक्त राजीनामा विभाजन में खसरा नम्बर 1511/1802 रकबा 0.20 के दो टुकडे किये गये है। जिसमें एक टुकडा 1511/1802/1 रकबा 0.16 है0 तथ दुसरा टुकडा 1511/1802/2 रकबा 0.04 है0 का है खसरा नम्बर 1511/1802/1 को विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर के पश्चिम दिशा में दिया गया है तथा ख0न0 1511/1802/2 को उक्त खसरे के पूर्वी दिशा में दिया गया है। इन खसरा नम्बरान का जमाबन्दी में अमल सही किया गया है। लेकिन नक्शा शीट में नम्बर अन्दाजी मुताबिक डिक्री के अनुसार नहीं हुआ है। नक्शा शीट में खसरा नम्बर की नम्बर अन्दाजी करते समय खातेदार सीताराम को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 09:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

ख0 1511/1802 रकबा 0.04 है0 जो राजीनामा सहमति प्रस्ताव में पूर्वी दिशा में दिया गया था। जिसकी नम्बर अन्दाजी नक्शा शीट में पश्चिम दिशा में की गई है व खातेदार गिरीराज को दिये गये खसरा नम्बर 2118/1511 रकबा 0.16 है. जो राजीनाम में पश्चिम दिशा में दिया गया था। जो नक्शा शीट में पूर्वी दिशा में अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी में दिये गये ख.न. 1511/1802 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 2118/1511 रकबा 0.16 है0 राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट में इन खसरा नम्बर की बनी हुई आकृति के अनुरूप नहीं है। नक्शा ट्रेस में इन नम्बरों की आकृति की रकबा बरारी करने पर आकृति का रकबा जमाबन्दी के रकबे से मेंल नहीं करते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं व मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मु0न0 262/05 उनवान बाबूलाल बनाम मूलचन्द में पारित डिक्री निर्णय दिनांक 12.05.2008 के अनुसार खसरा नम्बरान की राजीनामा में बताये अनुसार व नक्शा सीट में बनी हुई आकृति के रकबे के अनुसार प्रार्थी को दिये गये खसरा नम्बर 1511/1802 को नक्शा सीट में खसरा नम्बर 2118/1511 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने व खातेदार गिरीराज को दिये गये खसरा नम्बर 2118/1511 को नक्शा सीट में खसरा नम्बर 1511 /1802 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चौमू जयपुर

राजेश जाखड़
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 09:55:09 IST
Reason: SelfAttested